

कार्यालय अपरजिलाधिकारी (भू0अ0), गौतमबुद्धनगर

(नोएडा ग्रीनफील्ड अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, जेवर कार्यालय)

एच-169, चितवन एस्टेट, सैक्टर गामा-2, ग्रेटर नौएडा।

पत्रांक 50

/आठ-अ0जि0अ0(भू0अ0)/यमुना एक्सप्रेस-वे/2018/गौतमबुद्धनगर


दिनांक 5/01/2019

जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी,
गौतमबुद्धनगर।

विषय:- जनपद गौतमबुद्धनगर में प्रस्तावित नोएडा अन्तर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, जेवर के निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि के अर्जन के संबंध में पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक की पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की प्रारूप स्कीम का अधिनियम की धारा-18 के अर्न्तगत वेबसाइट पर अपलोड किये जाने विषयक।

जनपद गौतमबुद्धनगर में प्रस्तावित नोएडा अन्तर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, जेवर हेतु अर्जित की जाने वाली भूमि के प्रभावित कुटुम्बों के लिए पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रारूप स्कीम अधिनियम की धारा-17 के अर्न्तगत कार्यवाही हेतु पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक द्वारा दिनांक 31.12.2018 को प्रस्तुत की गई थी, जिसका अनुमोदन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त द्वारा दिनांक 04.01.2018 को प्रदान करते हुये अधिनियम की धारा-18 के अर्न्तगत कार्यवाही हेतु निदेशित किया गया है।


अतः प्रभावित कुटुम्बों के लिए आयुक्त द्वारा अनुमोदित पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रारूप स्कीम पत्र के साथ संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रारूप स्कीम जिले की वेबसाइट पर बने ग्रीनफील्ड अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जेवर नामक पोर्टल/पेज पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।


(बलराम सिंह)
अपर जिलाधिकारी (भू0अ0)
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि :-

1. श्री अनवर, आदेशवाहक, को इस निर्देश के साथ कि आयुक्त द्वारा अनुमोदित पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रारूप स्कीम की प्रतियां प्रत्येक प्रभावित ग्राम की ग्राम पंचायत, नगर पालिका या नगर निगम तथा जिला कलक्टर, उपखण्ड मजिस्ट्रेट के तथा तहसील कार्यालय में प्रकाशित करते हुये फोटोग्राफ लेकर तामिला रिपोर्ट एवं फोटोग्राफ कार्यालय में प्रस्तुत करें।


अपर जिलाधिकारी (भू0अ0)
गौतमबुद्धनगर।